6/2021

उत्तर प्रदेश शासन
विधायी अनुभाग-1,
लखनऊ, दिनांक: 07 जून, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

विधायी सचिव शाखा में तैनात वाहन चालक श्री दुष्यन्त कुमार को वित्तीय वर्ष 2020-21 की शीत कालीन एवं ग्रीष्म कालीन वर्दी राज्य सम्पत्ति अनुभाग-1 के कार्यालय आदेश संख्या-986/32-1981 दिनांक 10-04-1981 में अनुमन्य सामग्री राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा अनुमोदित दरों पर क्रय किये जाने हेतु कुल धनराशि रूपये 4325+5736=10061(रूपये दस हजार इकसठ मात्र) स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

शीत कालीन वर्दी (वर्ष 2020-21)(प्रति दूसरे वर्ष देय)

क्र0	**वर्दी/सामग्री**	**कपड़ा मीटर में**	**दर**	**धनराशि**
1	एक बन्द गले का कोट एवं 01 पैन्ट	03 मीटर	499.00/- प्रति मीटर	1497.00
2	वर्दी सिलाई	--	700 /-प्रति सेट	700.00
3	जूता (एक जोड़ी)	--	1999/-	1999.00
4	मोजा (एक जोड़ी)	--	129/-	129.00
			कुल योग रू0 4325.00 (रूपये चार हजार तीन सौ पच्चीस मात्र)	

ग्रीष्म कालीन वर्दी-(वर्ष 2020-21)(प्रति वर्ष देय)

क्र0	**वर्दी/सामग्री**	**कपड़ा मीटर में**	**दर**	**धनराशि**
1	सफेद टेरीकाट 02 शर्ट व 02 पैन्ट	6.50	409.00 प्रति मीटर	2658.00
2	वर्दी सिलाई (02 सेट)	--	475/- प्रति सेट	950.00
4	जूता (एक जोड़ी)	--	1999/-	1999.00
5	मोजा (एक जोड़ी)	--	129/-	129.00
			कुल योग रू0 5736.00 (रूपये पॉच हजार सात सौ छत्तीस मात्र)	
			कुल महायोग रू0- 4325 +5736= 10061 (रूपये दस हजार इकसठ मात्र)	

5- उक्त मद होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-42 के लेखाशीर्षक "2014-न्याय प्रशासन आयोजनेत्तर-114-विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल)-04-विधि परामर्शी तथा सरकारी अधिवक्ता-51 वर्दी व्यय के नामे डाला जायेगा।

(अतुल श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

3- न्याय अनुभाग-8(लेखा प्रकोष्ठ) को एक अतिरिक्त प्रति सहित।

4- न्याय अनुभाग-9(बजट), उत्तर प्रदेश शासन।

5- वित्त आय-व्ययक) अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

6- वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

7- श्री दुष्यन्त कुमार, वाहन चालक, विधायी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दिलीप कुमार शुक्ल)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।